संख्या- 41/2017/**810/33-3-2017-227/2016**

प्रेषक,

राहुल भटनागर,

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग-**3** लखनऊ दिनांक 11 मई**, 2017**

विषय: ग्राम पंचायतों में स्वच्छ ग्राम स्वच्छ प्रदेश अभियान के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि स्वच्छता मानव जीवन का अभिन्न अंग है एवं मानव स्वास्थ्य - व्यक्तिगत एवं वातावरणीय स्वच्छता के घटकों से सीधे रूप से प्रभावित होता है। जैसा कि आप अवगत है कि जुलाई माह के पहले सप्ताह में वर्षा ऋतु आरम्भ हो जाएगी जिससें ग्राम पंचायतों की आन्तरिक गलियों एवं आस-पास की गन्दगी, गोबर, कूड़ा-करकट, मिट्टी आदि नालियों में बहकर पहुँच जाने से नालियाँ अवरूद्ध हो जाने की सम्भावना है। जल प्रवाह बाधित, गलियाँ व नालियाँ कीचड़ युक्त बदबूदार होने से न केवल ग्राम वासियों को बल्कि आने-जाने व रहने आदि में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे न सिर्फ बीमारी फैलने का खतरा रहता है अपितु समुदाय के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अत: इसके निदान हेतु समस्त ग्राम पंचायतों में वृहद सफाई अभियान चलाया जाना आवश्यक है। सफाई अभियान की अवधि में निम्न चार बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जायेगा:-

http://shashadeshup.nic.in

1. गांव के अन्दर की सफाई,

2. गांव की नालियों की सफाई,

3. तालाबों की सफाई।

उपरोक्त बिन्दुओं पर कार्यवाही वर्षा ऋतु आरम्भ होने से पूर्व, वर्षा ऋतु के समय एवं वर्षा ऋतु के पश्चात् की जानी है। इन बिन्दुओं पर कार्यवाही हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था विभिन्न योजनाओं यथा मनरेगा, 14वां वित्त आयोग, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अन्तर्गत उपलब्ध है। इन योजनाओं से सम्बन्धित विभाग अभियान के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर से ग्राम पंचायत तक आदेश अपने स्तर से जारी करेगें।

अत: उक्त के क्रम में **स्वच्छ ग्राम स्वच्छ प्रदेश अभियान** के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं पर तत्काल कार्यवाही करने की आवश्यकता है:-

1. वर्षा ऋतु आरम्भ होने से पूर्व, वर्षा ऋतु के समय एवं वर्षा ऋतु के पश्चात् प्रत्येक ग्राम पंचायत में विशेष सफाई अभियान चलाया जाय, जिसके लिए न्याय पंचायतवार विस्तृत कार्ययोजना बनाई जाय एवं न्याय पंचायत में तैनात सभी सफाईकर्मियों का ग्राम पंचायतवार 2 से 5 दिन का रोस्टर बनाकर बन्द नालियों, गन्दी गलियों, हैण्डपम्पों के चारो ओर, अन्य पेयजल स्रोतों के आस-पास एवं तालाब के इन्लेट की सफाई हेतु विशेष दायित्व निर्धारण किया जाय। यदि किसी ग्राम पंचायत में अभियान के दौरान सफाईकर्मियों के संख्या में कमी पायी जाती है तो ग्राम पंचायत अन्य श्रमिकों की सहायता लेकर योजनानुसार निर्धारित समय में अभियान पूर्ण करा सकती है। इसके क्रियान्वयन का दायित्व पंचायती राज विभाग का होगा।

http://shasnadeshup.nic.in

2- ऐसे समय में नालियों की मरम्मत एवं नई नालियों का निर्माण कराया जाना अति महत्वपूर्ण है, अत: आवश्यक होगा कि वर्षा ऋतु के पूर्व ग्राम पंचायत कार्य योजना बनाकर आवश्यकतानुसार इस कार्य को भी करायेंगी, जिससे नालियों में जल प्रवाह निर्बाधरूप से चलता रहे। इसके क्रियान्वयन का दायित्व भी पंचायती राज विभाग का होगा।

3- ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति (VHSNC) द्वारा निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही की जायेगी, जिसके क्रियान्वयन की जिम्मेवारी स्वास्थ्य विभाग की होगी:-

(क) समस्त ग्राम सभाओं में अभियान के दौरान ग्राम्य स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति की विशेष बैठक का आयोजन किया जायेगा। बैठक में ग्राम सभा के विभिन्न मजरों में स्वच्छता की स्थिति की चर्चा की जायेगी। इसमें कूड़े का निस्तारण, जल भराव वाले गड्ढ़े एवं नालियों की सफाई, शौचालयों की सफाई एवं प्रयोग तथा सामुदायिक सम्पर्क कर जागरूकता पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

(ख) बरसात के मौसम के दौरान स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था के लिये योजना बनायी जायेगी, इसमें पीने वाले पानी के कुओं में ब्लीचिंग पाउडर का डाला जाना, हैण्डपम्पों के चारों ओर सफाई की व्यवस्था करना आदि सम्मिलित है। मच्छरों के बढ़नें व पैदा न होने देने हेतु रूके हुए पानी में लार्वा को नष्ट करनें वाली दवा का छिड़काव कराना सुनिश्चित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों से सहयोग लिया जायेगा।

(ग) ग्राम सभा में स्वच्छता, पेयजल, शौचालय, मच्छरदानी का उपयोग आदि के सम्बन्ध में लोगों का जागरूक करने के उद्देश्य से दीवाल

http://shasnadesh.up.nic.in

लेखन, समूह बैठक, स्कूली बच्चों की रैली आदि का आयोजन किया जायेगा।

4- ग्राम पंचायत द्वारा अपशिष्ट पदार्थो के सुरक्षित निपटारे, कम्पोस्ट गड्ढों का निर्माण घरेलू कूड़े का एकत्रण व सुरक्षित निपटान एवं सोख्ता चैनलों/ गड्ढों के निर्माण का कार्य, अभियान की अवधि में चलाया जायेगा। आबादी की नालियों का पानी तालाब तक या नाले तक पहुॅचाने के लिए भी व्यवस्था सुनिश्चित् की जाएगी, अगर नालियों पर आबादी के अतिक्रमण की वजह से जल भराव की समस्या है तो पुलिस प्रशासन की सहायता से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाए। तालाबों का जीर्णोद्धार कराकर आदर्श तालाब के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। इसके क्रियान्वयन का दायित्व ग्राम्य विकास विभाग का होगा एवं इस बात का कार्ययोजना बनाते समय विशेष ध्यान रखा जाय, कि यह अभियान वर्षा ऋतु के आरम्भ, वर्षा ऋतु के समय एवं समाप्ति तीनों समय में समान रूप से समस्त विभागों द्वारा चलाया जाना है।

5- अभियान के बेहतर क्रियान्वयन हेतु दायित्व का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाता है:-

क्र0	**कार्य**	**जिम्मेदार अधिकारी**
1	2	3
1	**अभियान का नियोजन, निर्देशन, अनुश्रवण एवं मूल्याकंन**	**जिलाधिकारी**
2	**अभियान का क्रियान्वयन एवं समस्त विभागों एवं संस्थाओं में समन्वयन**	**मुख्य विकास अधिकारी**
3	**जनपद स्तर पर अभियान सम्बन्धी दस्तावेजों का संकलन**	**जिला पंचायत राज अधिकारी**

http://shahadeshup.nic.in

अत: उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राहुल भटनागर**)**

मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक**:-** तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

2- अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग/स्वास्थ्य विभाग/ ग्राम्य विकास विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/बेसिक शिक्षा विभाग/ वित्त विभाग उत्तर प्रदेश शासन।

3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

4- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

5- निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश/मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।

6- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

7- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0।

8- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(चंचल कुमार तिवारी**)**

अपर मुख्य सचिव।

http://shasnadesh.up.nic.in